

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—935 / 2011

संस्थित दिनांक—02.12.2011

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—डरेसर पिता हवलदार (फौत घोषित)

2—लोकचन्द पिता हवालदार, उम्र—37 वर्ष, जाति मरार,

3—दुर्गाबाई पति डरेसर, उम्र—35 वर्ष, जाति मरार

सभी निवासी—ग्राम अचानकपुर, थाना बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—14.11.2017 को घोषित)

1— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—447, 434, 427, 294, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—02.10.2011 को शाम 4:30 बजे, पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम अचानकपुर, फरियादी अमरलाल श्रीवास के खेत में अपराध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित कर, लोकेसेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट किया एवं रिष्टी कारित कर, फरियादी के खेत से धान की हरी फसल को काटकर रिष्टी कारित कर, फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— प्रकरण में अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—447, 427, 294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—434 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्तगण पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अमरलाल

श्रीवास ने पुलिस चौकी सालेटेकरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि उसने वर्ष 2010 में हवलदार मरार से ख.नं-3/24, 3/25/5 रकबा 0.27 डि. एवं ख. नं-67/2 झ रकबा 20 डि. कुल 47 डि. भूमि ग्राम अचानकपुर की 20 हजार रुपये में खरीदकर माह सितम्बर 2010 में विक्रेता को खरीदी की रकम देकर रजिस्ट्री कराई थी। उक्त भूमि का नामांतरण होकर फरियादी को भूमि की ऋण पुस्तिका प्राप्त हो गई थी। फरियादी ने भूमि का विधिवत् सीमांकन कराकर कब्जा प्राप्त किया था एवं धान की फसल बोई थी। उसके पश्चात् विक्रेता के पुत्र डरेसर, लोकचंद तथा बहु दुर्गाबाई ने फरियादी के कब्जे की जमीन पर दखल देना शुरू कर दिया था। दिनांक-02.10.2011 को शाम 4:30 बजे तीनों अभियुक्तगण ने फरियादी के खेत में घुसकर भूमि पर कब्जा कर लिया था तथा सीमांकन के चिन्ह, भाग, मेढ आदि को फेंक दिये थे एवं धान की फसल को काटकर नुकसान किया था। अभियुक्तगण ने फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गालियां देकर जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। घटना फरियादी की पत्नी विमलाबाई, दामाद गज्जू एवं पड़ोसी खेत वाले हीरा मरार, मेहतर ने देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस चौकी सालेटेकरी में अपराध क्रमांक-0/11 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। उसके उपरांत थाना बिरसा ने अपराध क्रमांक-92/2011 का प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत कराया था।

4- प्रकरण में तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था, तब अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-02.10.2011 को शाम 4:30 बजे, पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम अचानकपुर, फरियादी अमरलाल श्रीवास के खेत में लोकेसेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट किया एवं रिष्टी कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु का निराकरण :-

6- अमरलाल अ.सा.1, गजेन्द्र अ.सा.2 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को

जानते हैं। घटना उनके न्यायालयीन कथन से 6 वर्ष पूर्व की है। फरियादी अमरलाल ने हवलदार से जमीन खरीदी थी एवं फरियादी ने जमीन के राजस्व दस्तावेज बनवाकर खरीदी हुई जमीन का सीमांकन कराकर कब्जा प्राप्त किया था। फरियादी का अभियुक्तगण से विवाद हो गया था। इस कारण उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना बिरसा में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रदर्श पी-3 का जप्तीपंचनामा बनाकर दस्तावेज जप्त किये थे एवं साक्षीगण के कथन लिये थे। अमरलाल अ.सा.1 का कथन है कि पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। गजेन्द्र अ.सा.2 का कथन है कि पुलिस ने उसके सामने प्रदर्श पी-4 का नुकसानी पंचनामा बनाया था।

7— गजेन्द्र अ.सा.2 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया है। अमरलाल अ.सा.1 ने भी उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसने अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया है। फरियादी एवं उसकी साक्षी ने प्रकरण में राजीनामा होने के कारण उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई गई है। प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अमरलाल श्रीवास के खेत में लोकसेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट किया एवं रिष्टी कारित की थी। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-434 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-434 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

9— प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही/—  
(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट

सही/—  
(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,  
जिला-बालाघाट